

न्यायालय जिला कलेक्टर, राजसमंद  
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलेक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 27/2025

दायर दिनांक : 18.09.2025

आदेश दिनांक : 05.05.2026

अनवान

हीरासिंह पिता श्री खुमाणसिंह जी जाति रावत आयु 75 वर्ष निवासी गोंव बली जस्साखेडा  
तहसील भीम जिला राजसमन्द राजस्थान  
— प्रार्थी

बनाम

1. भारत संघ जरिये सचिव, सडक एवं परिवहन मंत्रालय, 3 संसद मार्ग, नई दिल्ली
2. सक्षम अधिकारी भुमि अवाप्ति नेशनल हाईवे प्राधिकरण, पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजसमंद
3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये क्षेत्रीय अधिकारी एवं परियोजना निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, सडक परिवहन एवं राज मंत्रालय डी सी एम अजमेर रोड जयपुर
4. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड अजमेर
5. तहसीलदार भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट प्रार्थना पत्र अवाई दिनांक  
01.06.2017 राजस्व ग्राम बली तहसील भीम जिला राजसमंद

उपस्थित :-

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता — प्रार्थी

श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 01 से 05

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमियाँ राजस्व ग्राम बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित है जो आराजी संख्या 877 मीन होकर आबादी भुमि के रूप में स्थित है जिसका पट्टा प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत बली द्वारा जारी कर रखा है। जिस पर प्रार्थी की दुकाने बनी हुई है। इसके अलावा इसी भुमि पर प्रार्थी के परिवार के नाम पर



*[Handwritten signature]*

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी कर रखे है। उक्त पट्टेशुदा भूमि का आंशिक भाग ब्यावर बाघाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 फोरलेन हेतु अवाप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है। प्रार्थी की भूमि एवं उस पर दुकाने निर्मित है उसे अवाप्त किया गया है और उसके संबंध में दिनांक 17.01.2014 को अधिसूचना जारी की गई जो अधिसूचना संख्या 139 है जिसका अवार्ड दिनांक 01.06.2017 को जारी किया गया है। लेकिन प्रार्थी को केलवा संरचना का मुआवजा अवार्ड के रूप में दिया गया है। अन्य कोई राशि अदा नहीं की गई है। अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थी की 112 मीटर भूमि अवाप्त हुई है जिसका मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है न ही अदा किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय / वाणिज्यिक दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर बनी हुई संरचना सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है लेकिन संरचना का मुल्यांकन अवाप्तशुदा भाग का ही किया गया है जबकि शेष बचे हुए आंशिक भाग की संरचना अनुपयुक्त हो चुकी है। अवाप्ति की कार्यवाही में निर्माण कार्य को मौके पर एक तिहाई हिस्सा त्रिभुजाकार में शेष रहता है जो उक्त अवाप्तशुदा भूमि के निर्माण के साथ समाप्त होता है। इस प्रकार संरचना शत प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो रही है लेकिन संरचना की वेल्युवेशन 60 प्रतिशत हीं गई है। इस प्रकार संरचना में सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त होने वाले निर्माण का आंकलन नहीं किया गया है न ही इसका मुआवजा निर्धारित किया गया है और न ही अदा किया गया है। मुआवजा राशि संरचना की 6,98,910 /- रूपये कायम की गई है जबकि संरचना की मालियत 12,00,000 /-रूपये करीब होती हैं जो न तो निर्धारित किया गया है न ही अदा किया गया है। प्रार्थी की जीविकोपार्जन का साधन उक्त बनी दुकाने है जिसके उपयोग उपभोग से प्रार्थी वंचित हुआ है। जिसकी क्षतिपूर्ति होना अर्थ में सम्भव नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि एवं संरचना का मुआवजा सही रूप से निर्धारित नहीं किया है न ही अदा किया गया है। उक्त भूमि प्रार्थी की वाणिज्यिक उपयोग की है। मुख्य सडक पर भूमि स्थित होने से डी एल सी दर 2 से 3 गुना अधिक माने जाने के प्रावधान है। वर्तमान में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 प्रभावी हो चुका है तथा वह नेशनल हाईवे प्राधिकरण पर लागू हो चुका है। उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने से उक्त भूमि का बाजार दर से गुणाक दो लागू होता है तथा उस पर शत प्रतिशत सोल्युशन राशि तय होती है एवं उस पर ब्याज भी देय होता है। उक्त अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा सही रूप से निर्धारित नहीं किया है और भुगतान नहीं किया गया न ही सक्षम न्यायालय में जमा करवाया गया है। सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक 87253 दिनांक 22.08.2016 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1 (13) राज/6/2011/पार्ट 26/14.06.2016 के अन्तर्गत निर्धारित कास्ट (FACTOR) के मध्ये नजर 2013 की प्रथम अनुसूची की क्र. सं. 2, 35 के कॉलम सं. 3 के प्रावधान अनुसार निर्धारित कारक से बाजार मूल्य गुणित कर मुआवजा भुगतान करना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में नेशनल हाईवे की अवाप्त शुदा भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा अदा करने के निर्देश जारी किये है। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड राशि भुगतान व हितबद्ध खातेदार/



*[Handwritten signature]*

व्यक्ति के खाते में जमा नहीं होने से यह प्रावधान लागू किया चुका है। इसलिए RFCTLARR ACT 2013 के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। जिस पर माननीय राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2014 की DLC मानी जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (Solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 01.01.2015 तक न तो अदा किया गया है न ही जमा करवाया गया है। जबकि उक्त मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय नहीं किया गया। अतः बाजार दर की तीन गुना राशि तथा इस पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (Solatium) राशि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। भू अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26, 27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये हैं जिसके तहत कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण अर्थात् उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय विलेख करार में वर्णित बाजार मूल्य या निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत कीमत लिये जाने के प्रावधान है। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त मुआवजा का निर्धारण मनमकसूद तरीके से किया गया है तथा मुआवजा पर कोई ब्याज भी निर्धारित नहीं किया गया है जबकि देरी के संबंध में ब्याज नियमानुसार देय होता है। क्योंकि मुआवजा का निर्धारण विपक्षी द्वारा अवाप्ति की अधिसूचना की बाजार दर अनुसार तय किया गया है। फिर भी ब्याज एवार्ड राशि में नहीं जोड़ा गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार आवासीय दर एवं संरचना मय सोल्युशन राशि, ब्याज एवं रिपलेक्टर एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नियमानुसार अवाप्ति की अधिसूचना जारी कर प्रस्तावित सड़क में आने वाली भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना का नियमानुसार अवार्ड जारी कर अवाप्त की गई है। विपक्षी द्वारा नियुक्त वेल्यूअर द्वारा जारी वेल्यूवेशन रिपोर्ट एवं राजस्व रेकॉर्ड में भूमि की किस्म के अनुसार मुआवजा जारी किया गया है जो प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। प्रार्थी अब और किसी प्रकार की बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विपक्षी द्वारा नियमानुसार



*[Handwritten signature]*

सभी विवादों से मुक्त होकर पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अवाप्त की गई जो पूर्णतया वैधानिक होकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (3) के तहत आपत्तियां करने के उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार, तहसीलदार से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच रिपोर्ट अनुसार तत्समय प्रचलित दरों के माध्यम से खातेदार / हितधारी की अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर पूर्णतया वैधानिक तरीके से निष्पादित किया गया तथा प्रार्थी को नियमानुसार पुर्णरूपेण अवार्ड राशि जारी की जाकर जरिये चौक संख्या 549508 प्रार्थी को भुगतान कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 03 (क) की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी0एल0सी0 दर देय होगी। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का प्रकार सरकारी व प्रकृति गैर मुमकिन मगरी है जो बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होने से उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर बनी संरचना की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 3 (जी) (3) के तहत आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्राप्त राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच रिपोर्ट एवं तत्समय प्रचलित दर अनुसार अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड प्रार्थी को जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया है कि A declaration made by the Central Government under sub-section [1] shall not be called in question in any court or by any other authority, आराजी संख्या 877 मीन की भूमि एवं उस पर निर्मित संरचनाओं के बारे में प्रार्थी द्वारा अपनी मनमर्जी के आधार पर मुआवजा राशि का आकलन कर रूपयों की मांग की गई है जो पोषणिय नहीं है। चूकिं प्रार्थी को नियमानुसार अवाप्त भूमि सरकारी व गैर मुमकिन मगरी है जो बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होने से उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर बनी संरचना की प्रार्थी अब और किसी प्रकार की बढ़ी हुई नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी खारीज किये जाने योग्य हैं। विपक्षी द्वारा नियमानुसार सभी विवादों से मुक्त होकर पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अवाप्त की गई जो पूर्णतया वैधानिक होकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (3) के तहत आपत्तियां करने के उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार, तहसीलदार से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जांच रिपोर्ट अनुसार तत्समय प्रचलित दरों के माध्यम से खातेदार/हितधारी की अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर पूर्णतया वैधानिक तरीके से निष्पादित किया गया तथा प्रार्थी को नियमानुसार पुर्णरूपेण अवार्ड राशि जारी की जाकर जरिये चौक संख्या 549508 भुगतान कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया है कि A declaration made by the Central Government under sub-section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority. उक्त प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि आराजी संख्या 877 मीन में स्थित है। तहसीलदार भीम द्वारा वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जाँच रिपोर्ट तथा आराजी नं0 877 मी. में संरचना संख्या 827, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 859, 861 स्थित होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अवाप्तशुदा भूमि आराजी संख्या 877 मी. का भूमि का प्रकार व प्रकृति सरकारी व गैर मुमकिन मगरी है जो बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होने से उक्त अवाप्तशुदा भूमि का



*(Handwritten signature)*

मुआवजा राशि नियमानुसार देय नहीं होने से उक्त भूमि की मुआवजा राशि अप्राप्त होने से केवल उक्त अवाप्तशुदा भूमि पर बनी संरचनाओं का ही नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जिसका भुगतान प्रार्थी को जरिये चौक संख्या 549508 द्वारा किया जा चुका है। प्रार्थी अब और किसी प्रकार की बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण द्वारा असत्य व आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। तथा अवाप्त की गई भूमि का और अधिक मुल्यांकन कपोल कल्पित आधारों पर कर अधिक राशि की मांग करना अवैधानिक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमियाँ राजस्व ग्राम बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित है जो आराजी संख्या 877 मीन होकर आबादी भूमि के रूप में स्थित है जिसका पट्टा प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत बली द्वारा जारी कर रखा है। जिस पर प्रार्थी की दुकाने बनी हुई है। इसके अलावा इसी भूमि पर प्रार्थी के परिवार के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी कर रखे हैं। उक्त पट्टेशुदा भूमि का आंशिक भाग ब्यावर बाधाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 फोरलेन हेतु अवाप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है। प्रार्थी की भूमि एवं उस पर दुकाने निर्मित है उसे अवाप्त किया गया है और उसके संबंध में दिनांक 17.01.2014 को अधिसूचना जारी की गई जो अधिसूचना संख्या 139 है जिसका अवार्ड दिनांक 01.06.2017 को जारी किया गया है। लेकिन प्रार्थी को केलवा संरचना का मुआवजा अवार्ड के रूप में दिया गया है। अन्य कोई राशि अदा नहीं की गई है। अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थी की 112 मीटर भूमि अवाप्त हुई है जिसका मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है न ही अदा किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय / वाणिज्यिक दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर बनी हुई संरचना सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है लेकिन संरचना का मुल्यांकन अवाप्तशुदा भाग का ही किया गया है जबकि शेष बचे हुए आंशिक भाग की संरचना अनुपयुक्त हो चुकी है। अवाप्ति की कार्यवाही में निर्माण कार्य को मौके पर एक तिहाई हिस्सा त्रिभुजाकार में शेष रहता है जो उक्त अवाप्तशुदा भूमि के निर्माण के साथ समाप्त होता है। इस प्रकार संरचना शत प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो रही है लेकिन संरचना की वेल्युवेशन 60 प्रतिशत ही गई है। इस प्रकार संरचना में सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त होने वाले निर्माण का आंकलन नहीं किया गया है न ही इसका मुआवजा निर्धारित किया गया है और न ही अदा किया गया है। वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड राशि भुगतान व हितबद्ध खातेदार / व्यक्ति के खाते में जमा नहीं होने से यह प्रावधान लागू किया चुका है। इसलिए RFCTLARR ACT 2013 के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। जिस पर माननीय राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2014 की DLC मानी जावे। उक्त अधिनियम




*[Handwritten signature]*

के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार आवासीय दर एवं संरचना मय सोल्युशन राशि, ब्याज एवं रिप्लेक्टर् एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करने का आदेश फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति संरचना अनुसार कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि अदा की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आधारहीन होने से पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन महन किया गया। हमने पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हुआ कि इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा दो मुख्य तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम ग्राम बली, पटवार हल्का बली, तहसील भीम, जिला राजसमंद में स्थित आराजी संख्या 877 मीन, जो कि आबादी भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा दिनांक 12.05.2008 जारी किया हुआ है। इस पट्टे के आधार पर प्रार्थी को 30 फीट X 45 फीट का एक आवासीय भूखंड ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित किया गया था। जिसका प्रार्थी को पट्टा भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जब भूमि अवाप्ति (equisition) की तो इस आराजी की भूमि को ग्राम पंचायत की भूमि मानते हुए प्रार्थी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया। यह सही है कि आबादी भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होती है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाते हैं। और जब ग्राम पंचायत किसी भूखंड का पट्टा जारी कर देती है, तो उसका स्वामित्व पट्टाधारी का हो जाता है। अवाप्ति की स्थिति में पट्टाधारी मुआवजे का हकदार है। हमने यहाँ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया कि क्या आपके द्वारा ग्राम पंचायत बली को कोई मुआवजा दिया गया है। तो उन्होने इस तथ्य से इनकार कर दिया। तथा यह कहा कि भूमि ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज है। जिसे वो सरकारी मानते हैं। अतः उसका मुआवजा नहीं दिया गया। अर्थात् यहाँ पर यह जाहिर हुआ है कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है। और यह सही है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में किसी भी पट्टाधारी के नाम दर्ज किये जाने के राजस्व नियम में कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपना रजिस्टर्ड पट्टा प्रस्तुत किया गया है। जो यह साबित करता है कि प्रार्थी के पास इस पर एक आवासीय भूखण्ड



*Handwritten signature*


अवाप्त की जाने वाली भूमि पर स्थित था। साथ ही प्रार्थी का दूसरा तर्क यह है कि उसे दिया गया मुआवजा अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। जबकि यह मुआवजा दिनांक 01.06.2017 को पारित किया गया था। तथा दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी होने वाले प्रत्येक दिए जाने वाले मुआवजे की राशि की गणना नए अधिनियम (2013) के तहत किये जाने के विधिक प्रावधान है। जिसके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। यहाँ पर पत्रावली के अध्ययन, दस्तावेजों के अवलोकन और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, प्रार्थी के दोनों तर्क विधिक रूप से सही पाए गए हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### :: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वह प्रार्थी के पक्ष में जारी ग्राम पंचायत के पट्टे पर विचार करते हुए मुआवजे का वर्तमान प्रभावी नियमों के तहत निर्धारण करें। और दिनांक 01.01.2015 के पश्चात जारी होने वाले मुआवजे की राशि पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act. 2013) के प्रावधान लागू होने चाहिए। और मुआवजा पारित करने में इस तथ्य का भी ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरुण कुमार हसीजा)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अरुण कुमार हसीजा)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमन्द